वित्त निर्देश 11/2010

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 55/सी-29276/2010/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 05.03.2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने बाबत् ।

संदर्भः- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 97/107/वि/नि/चार/2008, दिनांक 28 अप्रैल, 2008

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश जारी किये गये है । कतिपय विभागों द्वारा वित्त विभाग से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पात्रता निर्धारण के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी कौन होंगे ।

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन की कंडिका-18 में यह उल्लेख है कि क्रमोन्नति योजना समयमान वेतनमान योजना संबंधी ज्ञापनों की सीमा तक संशोधित माना जाएगा । अतः स्पष्ट है कि समयमान वेतनमान क्रमोन्नति योजना का संशोधित स्वरूप है । इस ज्ञापन की कंडिका-5 में भी यह उल्लेख है कि इस योजनांतर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा जो पदोन्नति के लिए निर्धारित है ।

तद्नुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि इस योजना के अंतर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्रदाय करने के लिए शासकीय सेवक के पदोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकारी ही सक्षम होंगे, उनके द्वारा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये

जाने पर ही समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा । किन्तु यदि किसी शासकीय सेवक को क्रमोन्नति योजना के अंतर्गत क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ मिल चुका है तो ऐसे मामलों में समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम अथवा द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता की उपयुक्तता के लिए गोपनीय प्रतिवेदनों के पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुख के मामले में नियंत्रण अधिकारी उच्चतर वेतनमानों का लाभ देने हेतु सक्षम होंगे ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 56/सी-29276/वित्त/नियम/चार/2010 रायपुर, दिनांक 05.03.2010

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग